विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-05/18

श्री कैलाश भटेवरा, — **आवेदक**
14 — एच.बी. स्कीम नं. — 94,
आईडिया कालोनी,
मुसाखेड़ी,रिंगरोड,
इन्दौर (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (दक्षिण) शहर संभाग, — **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 10.01.2020 को पारित)

01. आवेदक श्री कैलाश भटेवरा, 14 — एच.बी. स्कीम नं. — 94, आईडिया कालोनी, इन्दौर ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 31.03.2018 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा प्रकरण क्रमांक W0398318 श्री कैलाश भटेवरा विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (दक्षिण) शहर संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर में दिनांक 28.02.2018 को पारित आदेश में लिए गए निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। जो इस कार्यालय में दिनांक 04.04.2018 को प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00—05/2018 पर दर्ज की गई है।

02. आवेदक के लिखित अभ्यावेदन में प्रकरण के विवरण निम्नानुसार हैं :—

(i) आवेदक का 14 एच.बी. स्किम 94, आईडिया कालोनी इन्दौर परिसर में 10 कि.वा. संविदा मांग (टैरिफ पर एवं अधिकृत 35 कि.वा. संयोजित भार का व्यावसायिक संयोग है। संयोग की बिलिंग टैरिफ एल.व्ही. 2.2 (Mandatory Demand based tariff for connected laodA bove 10 KW) होकर मेरे इस 10 कि.वा. संविदा मांग वाले संयोग पर विधिवत/नियमानुसार 35 कि.वा. के उपकरण जुड़े हैं। यह इसलिए कि जांच के दौरान मेरे परिसर का संयोजित भार नियमानुसार सही अर्थात् 35 कि.वा. ही रहे। मुझे

संयोजित भार अधिक पाए जाने पर अतिरिक्त संयोजित भार के लिए कोई पेनाल्टी न लगे। अवगत होवे कि मेरे द्वारा संविदा भार बढ़ाते समय या अन्यथा कभी भी स्थापित उपकरणों (कुल 35 कि.वा.) में कोई फेरबदल की टेस्ट रिपोर्ट झोन कार्यालय में नहीं दी है। मुझे तत्कालीन अधिकारी ने सलाह दी थी कि भविष्य में संयोजित भार के पैसे एक बारगी जमा कर आवश्यतानुसार संविदा भार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

(ii) मेरे द्वारा माह नवंबर 17 में उक्त संयोग की संविदा मांग जो 10 कि.वा. है को 35 कि.वा. तक बढ़ाने हेतु आवेदन दिया गया। संदर्भ में झोन कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 366 दिनांक 21.12.2017 के तहत सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस रू0 71250/– जमा करवाने का लेख किया गया। मेरे द्वारा लगातार संपर्क कर तथा अंततः पत्र दिनांक 01.01.18 के तहत अनुरोध किया गया कि एक बार संयोजित भार की मद में (संविदा भार नहीं, सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस रसीद क्रमरंक 2092/246 एवं 247 दिनांक 17.12.11 के तहत क्रमशः रू0 15800/– एवं रू0 7200/– (10 कि.वा. से 25 कि.वा. हेतु) तथा 4001/238 दिनांक 08.05.13 के तहत रू0 37500/– जमा करवा चुका हूं। इस बीच मैंनं संविदा भार कम करवाया था ना कि संयोजित भार। अतः मुझसे मेरे 35 कि.वा. संयोजित भार वाले संयोग की संविदा मांग 35 कि.वा. करवाने हेतु पुनः दो बार सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस करवाना किसी भी दृष्टि से नियमानुसार नहीं माना जावेगा न ही यह वसूली न्यायोचित होगी।

विषय पर म0प्र0 विद्युत सप्लाई कोड 2013 एवं कम्पनी स्तर पर जारी परिपत्रों के अवतरणों पर महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आवेदक ने म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 7.6(e) तथा कार्यपालक निदेशक, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के परिपत्र क्रमांक 770 दिनांक 28.05.2016 के पैराग्राफ न0 2 और 4 को अपने आवेदन में उद्धृत किया है)।

(iii) अपनी अपील में आवेदक ने आगे उल्लेख किया है कि ''विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत अधिनियम 2003 के तहत गठित है। इन संवैधानिक संस्थाओं कार्य पारदर्शी है अगर कही नियमों की व्याख्या या नियम बनाते समय कोई अहम पहलु छूटने/समायोजित न हो पाने के कारण यदि उपभोक्ता या विद्यु वितरण कंपनी दोनों के लिए प्राकृतिक न्याय के साथ आधारभूत नियमों के विपरित दिखाई देता हो तो तत्काल सुधार होना आवश्यक है कि उपभोक्ता से दोहरी राशि जमा कर जाने अनजाने में अन्याय तो नहीं हो रहा है। प्राकृतिक न्याय कहता है कि अगर डिमाण्ड बेस्ड उपभोक्ता ने संयोजित भार बढ़ाने हेतु सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस जमा कर दिए हैं एवं बादे में कभी भी संयोजित भार घटाने का आवेदन नहीं दिया गया है मात्र संविदा भार वह भी विद्यमान स्वीकृत संयोजित भार की सीमा में है को बढ़ाने हेतु आवेदन किया है तो दो बार सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस नहीं लिए जाने चाहिए। जनवरी 16 से दिसंबर 17 माहवारी बिलों में अंकित अधिकृत भार एवं टैरिफ श्रेणी जिसमें बिलिंग हो रही है विवरण पत्र संलग्न है।

(iv) अवगत होवे कि फोरम द्वारा अपने आदेश में नोटिफिकेशन नं0 1875 दिनांक 15.10.15 का हवाला देकर सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस लौटाने की मांग को निरस्त किया है। इसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या होना आवश्यक है क्योंकि नोटिफिकेशन केवल ऐसे उपभोक्ताओं के संबंध में है जिसमें संविदा भार मात्र का उल्लेख हो परन्तु अब उपभोक्ता का भले ही 10 कि.वा. का औद्योगिक संयोग हो वह 150 अश्वशक्ति/112 कि.वा. के लिए सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस जमा किए हो। ऐसी दशा में अगर वह अपनी संविदा मांग 10 कि.वा. से 20 कि.वा. का आवेदन देता है तो भी क्या उसे सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस जमा करवाना होगा। महोदय से अनुरोध है कि इस प्रकरण में जारी

किए जाने वाले अपने स्पिकिंग आदेश में यदा संभव स्थिति को स्पष्ट करे ताकि इस मुद्दे पर बन रही भ्रम की स्थिति को समाप्त किया जा सके।

(v) आवेदक ने अपनी अपील में आवेदक से दूसरी बार जमा करवाई गई सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस की राशि रू0 71,250/– लौटाने हेतु विद्युत वितरण कम्पनी को निर्देशित किए जाने संबंधी राहत की मांग की है। आवेदक ने अपनी अपील के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किए हैं :–

1. माहवारी बिल माह नवंबर 17।
2. माहवारी बिल माह जनवरी 16 से दिसंबर 17 तक पर अंकित स्वीकृत अधिकतम भार का पत्रक। (वास्तव में इस पत्रक में जनवरी, 2016 से लेकर दिसम्बर 2017 तक मासिक आधार पर स्वीकृत भार संविदा मांग, उच्चतम मांग, सुरक्षा निधि विवरण दर्शित है)
3. फोरम को प्रेषित आवेदन मय सभी सहपत्रों के मय फोरम का आदेश दिनांक 28.02.2018 की प्रतियां।
4. सहायक यंत्री का पत्र 366 दिनांक 21.12.2017 की प्रति।
5. नियामक आयोग भोपाल द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक 1875 दिनांक 15.10.2015 की प्रति।

अपील के साथ आवेदक ने श्री जगत किशोर ठोबंरे एवं श्री मुरलीधर गोयल जो अधिवक्ता नहीं है, को अपना प्रतिनिधि नामांकित करते हुए अपना घोषणा–पत्र दिनांक 26.03.18 प्रस्तुत किया है।

03. प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 14.05.2018 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए। तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही। अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी। चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 29.06.2019 को आयोजित की गई, जिसमें आवेदक की ओर उनके अधिकृत प्रतिनिधीद्वय श्री जे. जी. ठोबंरे एवं श्री मुरलीधर गोयल तथा अनावेदक की ओर से श्री अमर सिंह सोलंकी, जूनियर इंजीनियर, डेली कालेज जोन, शहर संभाग (दक्षिण), इन्दौर उपस्थित हुए।

आवेदक प्रतिनिधी श्री ठोंबरे ने सुनवाई में निम्नानुसार कथन किए :–

(i) आवेदक ने नया गैर घरेलू कनेक्शन प्राप्त करते समय संयोजित भार 35 किलोवाट के लिए सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज का उन्होंने भुगतान कर नया कनेक्शन 35 किलोवाट संविदा मांग हेतु प्राप्त किया था। बाद में आवेदक द्वारा वर्ष 2014 में संयोजित भार में परिवर्तन न करते हुए संविदा मांग 35 किलोवाट से 10 किलोवॉट करवाई थी, जिस पर अनावेदक द्वारा पूर्व में भुगतान की गई सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज की राशि में से कोई राशि वापस नहीं की गई थी।

(ii) इसके बाद आवेदक के आवेदन पर अनावेदक द्वारा आवेदन से फिर से रू0 71,250/– सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस के रूप में जमा करवाकर संयोजित भार में कोई परिवर्तन किए बिना संविदा मांग 10 किलोवाट से बढ़ाकर 35 किलोवाट की गई। आवेदक द्वारा 35 कि.वा. भार के लिए नवीन कनेक्शन प्राप्त करते समय आवश्यक सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस जमा कर दिए जाने के बाद फिर से 25 कि.वा. (10 कि.वा. से 35 कि.वा. संविदा मांग ही है) के सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस अनावेदक द्वारा लिया जाना विधि अनुसार न होकर अनुचित होने से आवेदक को वापस दिलवाए जावें।

04. अनावेदक की ओर से लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 26.04.2019 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसारः–

''अपीलकर्ता द्वारा माननीय विद्युत फोरम के समक्ष आवेदन पेश कर उक्त जमा की गयी राशि को लौटाए जाने बाबद प्रार्थना की गयी थी। माननीय विद्युत फोरम द्वारा समस्त विधिक प्रावधानों का अवलोकन करने के उपरांत यह पाया था कि म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 प्रथम संशोधन की कंडिका 7.16 का उल्लेख कर एवं मांग किया गया भार के अनुसार वसूली योग्य राशि का चार्ज उल्लेख किया जाकर प्रतिप्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए गए थे। माननीय विद्युत फोरम द्वारा यह स्पष्ट आदेश पारित किया गया था कि विधिक प्रावधान में उल्लेखित नोटिफिकेशन नंबर 1875, दिनांक 15.10.15 की कंडिका 7 के अनुसार यदि उपभोक्ता संविदा मांग करने के बाद पुनः संविदा मांग बढ़ाना चाहता है तो उसे आवेदन के समय लागू सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस जमा कराना होगी तथा उसे विधिक प्रावधान में उल्लेखित म0प्र0 विद्युत नियामक विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 की कंडिका 4.22 के अनुसार सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस जमा करना चाहिए। इस अनुसार माननीय विद्युत फोरम द्वारा परिवादी का परिवाद स्वीकार किया गया, जो विधि का पूर्णतः पालन करते हुए आदेश पारित किया गया है।''

सुनवाई के दौरान अनावेदक प्रतिनिधि को निम्न बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया :–

उच्चतम मांग आधारित टैरिफ वाले निम्न दाब उपभोक्ताओं से नए कनेक्शन प्रदान करते समय तथा कनेक्शन चालू रहने की अवधि में संविदा मांग या संयोजित भार में वृद्धि चाहने पर सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज की राशि की वसूली से संबंधित नियम तथा निम्न परिस्थितियों में कितने और किस नियम अन्तर्गत सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज की राशि वसूल की जाएगी :–

(1) **केस नं0 1 :–** आवेदक द्वारा उच्चतम मांग आधारित टैरिफ के अंतर्गत 20 किलोवाट संयोजित भार एवं 10 किलोवाट संविदा मांग हेतु नवीन कनेक्शन आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।

(2) **केस नं0 2 :–** वर्तमान स्वीकृत संविदा मांग 10 किलोवाट एवं स्वीकृत संयोजित भार 20 किलोवाट के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत भार समान रखते हुए संविदा मांग 10 किलोवाट से बढ़ाकर 15 किलोवाट किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।

(3) **केस नं0 3 :–** वर्तमान में स्वीकृत संविदा मांग 10 किलोवाट और स्वीकृत संयोजित भार 20 किलोवाट के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा अपनी संविदा मांग

10 किलोवाट से बढ़ाकर 15 किलोवाट और संयोजित भार 20 किलोवाट से बढ़ाकर 30 किलोवाट करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।

उक्त संबंध में अनावेदक प्रतिनिधि श्री अमर सिंह सोलंकी, जूनियर इंजीनियर ने उच्चतम मांग आधारित टैरिफ के अन्तर्गत उक्त वर्णित प्रकरणों में सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज की वसूली एवं इस संबंध में लागू होने वाले नियम की जानकारी तत्समय उपलब्ध नहीं होने संबंधी कथन किया। अनावेदक को वांछित जानकारी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए अगली सुनवाई दिनांक 26.07.2019 को नियत की गई।

05. दिनांक 26.07.2019 को आयोजित सुनवाई में आवेदक की ओर से दोनों पूर्ववत् अधिकृत आवेदक प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक प्रतिनिधि श्री ठोंबरे ने प्रश्नाधीन प्रकरण में लिखित रूप से अपना पक्ष अभ्याववेदन दिनांक 26.07.19 से प्रस्तुत किया, जिसमें प्रकरण की संक्षेपिका निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है :–

(i) दिनांक 17.12.2011 को रिसिप्ट क्रमांक 2092/247 द्वारा सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज की राशि रू0 7,200/– की राशि 10 कि.वा. भार के लिए जमा की गई। संयोजित भार 10 कि.वा. से 25 कि.वा. बढ़ाने के लिए सप्लाई अफौर्डिंग चार्जेज की राशि रू0 33,750/– रसीद क्रमांक 2015/(Not readable) दिनांक 13.03.2012 से जमा करवाकर संयोजन पर स्वीकृत संयोजित भार 10 कि.वा. से बढ़ाकर 25 कि.वा. किया गया।

(ii) सप्लाई अफौर्डिंग चार्जेज की राशि 37,500/– रसीद क्रमांक 4001/– 258 दिनांक 18.05.2012 से जमा करवाकर संयोजन का स्वीकृत संयोजित भार 25 कि.वा. से बढ़ाकर 35 कि.वा. करवाया गया।

(iii) किरायेदार द्वारा मार्च 2013 में स्थान रिक्त किए जाने के उपरांत संयोजन के स्वीकृत संयोजित भार 35 कि.वा. यथावत् रखते हुए संविदा मांग 35 कि.वा. घटाकर 10 कि.वा. किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं इस संबंध में 35 कि.वा. संयोजित भार तथा 10 कि.वा. संविदा मांग के लिए अनावेदक कार्यपालन यंत्री के साथ अनुबंध निष्पादित किया और इसके बाद अप्रैल 2013 के बाद से उपभोक्ता के संयोजन की बिलिंग 35 कि.वा. स्वीकृत संयोजित भार एवं 10 कि.वा. स्वीकृत संविदा मांग के लिए की जा रही है। इस प्रकार स्वीकृत संविदा मांग 10 कि.वा. से बढ़ाकर 35 कि.वा. करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक को स्वीकृत संयोजित भार 35 कि.वा. तथा स्वीकृत संविदा मांग 10 कि.वा. थी और यह तथ्य अप्रैल 2013 के बाद से जारी हुआ, समस्त बिलों में विशेष रूप से उल्लेखित है।

(iv) अपने इस लिखित अभ्यावेदन में आवेदक प्रतिनिधि द्वारा उनकी अपील से संबंधित ***मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय – 3 विद्युत प्रदाय प्रणाली और उपभोक्ताओं का वर्गीकरण के खण्ड 3.4*** के अंश को भी उद्धृत किया है जो निम्नानुसार है :–

<u>उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की वोल्टेज</u> (Voltage of Supply to Consumers)

3.4 *विभिन्न संविदा मांगों के लिए विद्युत प्रदाय की वोल्टेज सामान्यतः निम्नानुसार होगीः*

विद्युत प्रदाय वोल्टेज **(Supply Voltage)**	*न्यूनतम संयोजित भार* **(Minimum Connected Load)**	*उच्चतम संयोजित भार अथवा संविदा मांग* **(Maximum Connected Load or Contract Demand)**
230 वोल्ट	—	*3 किलोवॉट*
400 वोल्ट	*2 किलोवॉट से अधिक*	(i) ***मॉग आधारित टैरिफ* :*** *150 अश्वशक्ति (HP) (112 किलोवाट) संविदा मांग संयोजित भार की बिना किसी उच्चतम सीमा के, जो संयोजित भार पर आधारित विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार के भुगतान के अध्यधीन होगा* (ii) ***संयोजित भार आधारित टैरिफः*** *150 अश्वशक्ति (HP) संयोजित भार*

**** नोट : 150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग में वृद्धि करने पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय नहीं होंगे, जो उस संयोजित भार तक सीमित होंगे जिसके लिये विद्युत उपलब्धता प्रभारों का पूर्व में भुगतान कर दिया गया हो।***

विद्युत् वितरण कंपनी ने उपभोक्ता से विधिवत 500/— के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पर 10 कि.वा. संविदा भार एवं 35 कि.वा. संयोजित भार हेतु अनुबंध करवा कर/फायनलाईज्ड किया है।

आवेदक को जारी हो रहे बिलों के अनुसार भी आवेदक का विद्युत् संयोग 10 कि.वा. संविदा मांग का होकर संयोजित भार 35 कि.वा. है। अब वह संविदा मांग 10 कि.वा. से 35 कि.वा. जिसके लिए वह सप्लाई अफौडिंग चार्जेस जमा करा चुका है करवाना चाहता है वह बढ़ाना चाहता है। तब ऐसी दशा में यह कहना कि उपभोक्ता को बढ़ाए जाने वाली संविदा मांग हेतु सप्लाई अफौर्डिंग चार्जेस जमा करवाना यह कहकर कि पूर्व में उपभोक्ता न संविदा मांग कम करवा ली थी (उस वक्त जब मेरा संयोजन 10 कि.वा. संविदा भार का था मेरा संयोजित भार तो सतत 35 कि.वा. ही रहा है।) न केवल नियमों के परिपेक्ष्य में बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी न्यायोचित नहीं है क्योंकि उपभोक्ता 35 कि.वा. हेतु राशि जमा करवा चुका है अब उससे दोबार सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस जमा करवाना उचित नहीं होगा। अतः जमा करवाया गया सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस वापस लौटाया जाने का कष्ट करें।

आवेदक सलाहकार द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि उनको प्रकरण में ओर कुछ नहीं कहना या प्रस्तुत करना है, अतः उन्हें अगली सुनवाई से मुक्त रखा जावे तथा अनावेदक द्वारा विगत सुनवाई में प्रस्तुत एवं आगे प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/दस्तावेज/तर्क के आधार पर माननीय विद्युत लोकपाल द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह आवेदक को मान्य होगा।

अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 20.08.2019 को नियत की गई।

06. अगली सुनवाई दिनांक 20.08.2019 में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा अनावेदक की ओर से श्री आर. पी. सिंह, कार्यपालन यंत्री (शहर) साउथ डिवीजन, इन्दौर उपस्थित।

अनावेदक श्री आर. पी. सिंह, कार्यपालन यंत्री (शहर) की ओर से आज सुनवाई दिनांक 20.08.19 को आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में सुनवाई दिनांक 26.07.2019 को प्रस्तुत अतिरिक्त जवाब से संबंधित लिखित उत्तर अपने पत्र क्र0 2455 दिनांक 19.08.19 से प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकार्ड में लिया गया।

सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस (विद्युत उपलब्धता प्रभार) वसूल किए जाने के संबंध में अनावेदक प्रतिनिधि का कथन है कि डिमाण्ड वेस्ड टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत नवीन संयोजन प्रदान करते समय संयोजित कनेक्टेड लोड के आधार पर यह चार्ज उपभोक्ता से वसूल किया जाता है तथा कनेक्शन दिए जाने के उपरान्त भार वृद्धि के प्रकरणों में यदि केवल स्वीकृत संविदा मांग या केवल स्वीकृत संयोजित भार में शुद्धि चाहने पर वृद्धि किए जाने वाले संविदा भार या संयोजित भार, जैसा भी प्रकरण हो, के लिए निर्धारित सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज उपभोक्ता से वसूल किए जाते हैं, किन्तु ऐसे प्रकरणों में जहां स्वीकृत संविदा भार में वृद्धि के साथ–साथ स्वीकृत संयोजित भार में भी वृद्धि उपभोक्ता द्वारा चाही गई हो वहां प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार चाही गई भार वृद्धि की मात्रा जिस मद में अधिक हो अर्थात् स्वीकृत संयोजित भार में चाही गई वृद्धि स्वीकृत संविदा भार में चाही गई वृद्धि से अधिक होने पर स्वीकृत संयोजित भार में वृद्धि पर तथा इसके उलट होने पर स्वीकृत संविदा भार में चाही गई वृद्धि पर सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज की राशि की गणना कर उपभोक्ता से वसूल की जाती है। इस संबंध में आवश्यक नियम संबंधी जानकारी/दस्तावेज अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत नहीं करते हुए उन्होंने ऐसे किसी नियम या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अपने कथन में अनभिज्ञता जाहिर की। सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस किस प्रकार संयोजित भार एवं संविदा भार दोनों के लिए वसूल किया जा सकता है, के संबंध में उनके द्वारा प्रामाणिक विधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होने का कथन किया।

अपने लिखित उत्तर में अनावेदक का कथन है कि उपभोक्ता से संविदा मांग में बढ़ोत्री हेतु जिस प्रावधान के तहत कार्यवाही संपादित की गई वह निम्नानुसार है :–

First Amendment to M.P. Electricity Supply Code -2013 [ARG-1(1){i} of 2015] Notified on 23.10.2015 [Bhopal 15th Oct. 2015] [Clause 7.16] - The consumer shall not be entitled to get refund of New-Connection charges/supply affording charges on account of such reduction in Contract demand. However if the consumers subsequently after reduction in contract demand requires ehnacement of the contract demand again, he shall be required to pay supply affording charges etc. As applicable at the time of such request.

माननीय विद्युत फोरम द्वारा अपने आदेश में म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 प्रथम संशोधन की कंडिका 7.16 का प्रावधान अंकित किया है, जिसके तहत यह है कि 7.16 में उपभोक्ता को इस प्रकार से संविदा मांग में कमी किए जाने के कारण उसे नवीन संयोजनों/विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का प्रतिदाय प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। कदापि यदि उपभोक्ता संविदा मांग में कमी किए जाने के पश्चात् पुनः संविदा मांग में वृद्धि की मांग करता है, तो ऐसी दशा में उसे विद्युत प्रदाय प्रकरण में ऐसा अनुरोध करते समय लागू थे। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत

प्रकरण में आवेदन प्रस्तुत करते समय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग की जारी नोटिफिकेशन नंबर 1875 दिनांक 15.10.2015 की कण्डिका 7.16 के प्रावधान लागू होने से अपीलार्थी द्वारा सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस जमा किया जाना आवश्यक होकर अपीलकर्ता से जमा करवाया गया था, जो विधि एवं नियमानुसार ही था।

म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता – 2013 के खण्ड 3.4 के प्रावधान यथा ''150 अश्व शक्ति तक की संविदा मांग में वृद्धि करने पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय नहीं होंगे, जो उस संयोजित भार तक सीमित होंगे जिसके लिए विद्युत उपलब्धता प्रभारों का पूर्व में भुगतान कर दिया गया हो'' के संबंध में अनावेदक प्रतिनिधि ने कथन किया कि चूंकि म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता – 2013 का खण्ड 3.4 दिनांक 20.08.2013 को अधिसूचित किया गया था, जबकि संशोधित खण्ड 7.16 दिनांक 23.10.15 को अधिसूचित किया गया है जिसमें स्वीकृत संविदा मांग में कमी किए जाने के बाद पुनः संविदा मांग में वृद्धि चाहने पर सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस देय हैं, अतः संशोधित कण्डिका 7.16 का कण्डिका 3.4 पर अधिभावी प्रभाव (Over riding effect) है।

07. अगली सुनवाई दिनांक 06.09.2019 एवं 27.09.19 में उभयपक्षों की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी। अगली सुनवाई दिनांक 04.11.2019 को पुनः अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री मुरलीधर गोयल सलाहकार उपस्थित हुए। आवेदक प्रतिनिधि ने अपना लिखित अभ्यावेदन दिनांक 04.11.2019 से निम्नानुसार पक्ष प्रस्तुत किया :–

The EE failed to reply on above cited issues.

It is to submit that at the time of application for enhancement of Contract demand from 10 kw to 35 kw, the status of my connectionas per monthly bill, is of 10 kw contract demand with 35 kw connected load (Sanctioned). Thus, since the consumer has already deposited Supply affording Charges for connected load (35 kw), than now At the time of increase of CD keeping connected load same, thus in light of art. 4.2.2 of Notification dated 7/Sept./2009, the supply affording charges for contract demand for enhancement of contract demand is not at all livid. It is well understood that consumer will always keep the connected load more than contract demand. Technically also if want to utilize the CD in full, than connected load of the connection should/must be kept higher than CD.

अपने लिखित उत्तर में अनावेदक ने स्वीकृत संयोजित भार 35 किलोवाट में बिना किसी वृद्धि के स्वीकृत संविदा मांग 10 किलोवाट से 35 किलोवाट की वृद्धि में आवेदक के आवेदन पर आवेदक से विद्युत उपलब्धता प्रभारों में की गई वसूली की म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में माननीय आयोग द्वारा दिनांक 23.10.2015 को अधिसूचित प्रथम संशोधन **{**एआरजी–1(1)(i), वर्ष 2015**}** की संशोधित कण्डिका 7.16 के प्रावधान अनुसार आवश्यक एवं विधि अनुसार बताया है।

आवेदक प्रतिनिधि द्वारा आगे निवेदन किया गया कि उनके द्वारा आगे और कोई जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने हैं न ही कोई कथन करना है, अतः उनकी तरफ से आज की सुनवाई में प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन एवं किए गए कथन को अन्तिम प्रस्तुती (Final Submission) एवं अन्तिम कथन मानते हुए उन्हें आगामी सुनवाई में उपस्थिति से मुक्त किया जाए। अनावेदक द्वारा जो भी अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे या कथन

किया जावेगा उसके आधार पर माननीय विद्युत लोकपाल द्वारा किया गया निर्णय उन्हें मान्य होगा।

08. सुनवाई दिनांक 25.11.2019 को आवेदक की ओर से स्वेच्छा से कोई भी उपस्थित नहीं।

अनावेदक की ओर से अनावेदक प्रतिनिधि श्री अमर सिंह सोलंकी, जूनियर इंजीनियर दक्षिण शहर संभाग, इन्दौर उपस्थित।

श्री अमर सिंह सोलंकी द्वारा कार्यपालन यंत्री दक्षिण शहर संभाग, इन्दौर ने पत्र क्रमांक 3450 दिनांक 23.11.2019 प्रस्तुत किया, जिसमें उनके द्वारा राजस्व कार्यों में व्यस्तता के कारण सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थता जताते हुए श्री अमर सिंह सोलंकी, जूनियर इंजीनियर को अधिसूचित किए जाने की सूचना दी है। श्री सोलंकी द्वारा कार्यपालन अभियंता दक्षिण शहर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 3450 दिनांक 23.11.2019 से प्रकरण में लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। पत्र में कार्यपालन अभियंता ने दिनांक 06.09.2019 की सुनवाई में आवेदक प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदन का संदर्भ देते हुए उसमें पूछे गए 2 प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए हैं जो निम्नानुसार है :–

Q.1 Whether, supply affording charges are given on contract demand or connected.

Ans. The supply affording charges are charged as follows :-

a. At the time of application the supply affording charges are charged as per the sanctioned load (The consumer/applicant is free to fix C.D. he demands/requests).

b. if the consumer so-desires to increase the C.D., then he will have to comply to the instructions of "Hon'ble MP Electricity Supply Code-2013- First Amendment (AGR-1(1)(i) of 2015) clause 7.16.

Q-2. More over, what would be the supply affording charges given on a connected with connected load 35 KW & CD 20 KW, if consumer wants to increase the CD upto 35 KW,A s supply affording charges for 35 KW (connected load) had already been deposited by the consumer.

Ans. If the consumer wants to increase the CD from 20KW to 35KW (i.e. increase of 15KW CD against sanctioned load of 35KW) then in compliance to "First Amendment to Hon'ble MP Electricity Supply Code-2013"(AGR-1(1)(i)of2015). Clause 7.16. The Applicant/consumer will have to pay supply affording charges etc., as applicable at the time of such requests.

उक्त प्रश्नों के उत्तर के साथ कार्यपालन यंत्री ने उक्त पत्र में लागू प्रावधान के तहत एवं माननीय विद्युत फोरम द्वारा विधिपूर्वक दिए गए आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

सुनवाई में अनावेदक प्रतिनिधि ने मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की मूल कण्डिका 7.16 एवं माननीय आयोग के नोटिफिकेशन दिनांक 15.10.2015 द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता

2013 के प्रथम संशोधन [ARG-1(I)(i) of 2015] से संशोधित कण्डिका 7.16 के ध्यानपूर्वक अवलोकन के पश्चात् कथन कर स्वीकार किया कि संबंधित संशोधित कण्डिका में मात्र भाषा–व्याकरण के परिवर्तन के अलावा मूल कण्डिका 7.16 से कोई अन्तर नहीं है तथा संशोधन पश्चात् भी इस कण्डिका की मूल व्याख्या एवं प्रावधान यथावत् हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि मूल कण्डिका 7.16 में संशोधन पश्चात् भी संहिता की कण्डिका 3.4 अपने मूल स्वरूप में पूर्ण प्रभाव के साथ लागू है।

आवेदक को 35 कि.वा. स्वीकृत संयोजित भार के नवीन कनेक्शन प्रदान करते समय आवेदक से 35 कि.वा. भार के अनुरूप विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार की वसूली की थी, के संबंध में अनावेदक प्रतिनिधि का कथन है कि यह चार्जेस आवेदक को स्वीकृत संयोजित भार 35 कि.वा. प्रदाय करने के लिए अनावेदक की विद्युत प्रणाली के आवश्यक उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के लिए ली गई थी। अनावेदक प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि आवेदक द्वारा अपने स्वीकृत संयोजित भार 35 कि.वा0 में बिना किसी वृद्धि के अपनी संविदा मांग विद्यमान 10 कि.वा. से बढ़ाकर पुनः 35 कि.वा. किए जाने पर अनावेदक द्वारा विद्युत प्रणाली उन्नयन/सुदृढ़ीकरण का कोई कार्य न किया गया है न ही किया जाना है।

अनावेदक प्रतिनिधि ने प्रकरण में अनावेदक की ओर से आगे कोई अतिरिक्त कथन नहीं करने या कोई अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने संबंधी कथन किया जिसकों दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर प्रकरण को आदेश के लिए सुरक्षित किया गया।

09. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील तथा उभयपक्षों द्वारा विभिन्न सुनवाईयों में किए गए कथन व प्रस्तुत दस्तावेज/जानकारी के आधार पर प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना में पाया कि अपनी संविदा मांग में 10 किलोवाट से 35 किलोवाट की वृद्धि किए जाने का आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक के विद्युत संयोजन का स्वीकृत संयोजित भार 35 किलोवाट थी तथा स्वीकृत संविदा मांग 10 किलोवाट था तथा आवेदक द्वारा स्वीकृत संयोजित भार 35 किलोवाट के अनुरूप अनावेदक को नियमानुसार विद्युत उपलब्धता प्रभारों का पूर्ण भुगतान किया गया था। आवेदक की स्वीकृत संविदा मांग 10 किलोवाट से बढ़ाकर 35 किलोवाट किए जाने पर अनावेदक द्वारा आवेदक से 25 किलोवाट की वृद्धि हेतु माननीय विद्युत नियामक आयोग के विनियम (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण – प्रथम), 2009 की कण्डिका 4.2.2(सी) में विनिर्दिष्ट विद्युत उपलब्धता प्रभारों का रू. 71250/– का भुगतान वसूला गया। आवेदक का तर्क है कि चूंकि उनके द्वारा पूर्व में ही 35 किलोवाट भार हेतु पूर्व में ही आवश्यक सप्लाई अफौर्डिंग चार्जेज का भुगतान अनावेदक को किया गया था, ऐसी स्थिति में स्वीकृत संयोजित भार 35 किलोवाट में बिना किसी वृद्धि के केवल संविदा मांग 10 किलोवाट से बढ़ाकर 35 किलोवाट किए जाने पर उनसे पुनः 25 किलोवाट के लिए विद्युत उपलब्धता प्रभार वसूल किया जाना मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 3.4 में प्रावधानों के विरूद्ध होकर उनके द्वारा नियमानुसार देय नहीं है जैसा कि इस कण्डिका में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि 150 अश्व शक्ति तक की संविदा मांग में वृद्धि करने पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय नहीं होंगे जो उसके संयोजित भार तक सीमित होंगे जिसके लिए विद्युत उपलब्धता प्रभारों का पूर्व में भुगतान कर दिया गया हो।

इस संबंध में अनावेदक का तर्क है कि प्रकरण में आवेदक से विद्युत उपलब्धता प्रभारों की वसूली मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 7.16 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक

23.10.2015 को अधिसूचित प्रथम संशोधन {एआरजी–1(1)(i), वर्ष 2015} किया जाना सूचित किया। अनावेदक के इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में मूल कण्डिका 7.16 एवं दिनांक 23.10.2015 को अधिसूचित प्रथम संशोधन के अनुसार संशोधित कण्डिका 7.16 जो निम्नानुसार उद्धृत है, का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया गया :–

> *"मूल कण्डिका 7.16 "उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार से संविदा मांग में कमी किये जाने के कारण उसे नवीन संयोजन प्रभारों* **(new connection charges)***/विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों* **(supply affording charges)** *का प्रत्यर्पण (***refund***) प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। तथापि, यदि उपभोक्ता संविदा मांग में कमी किये जाने के पश्चात अनुवर्ती तौर पर पुनः संविदा मांग में वृद्धि का इच्छुक हो, तो ऐसी दशा में उसे विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों आदि का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जैसा कि वे ऐसा अनुरोध करते समय प्रयोज्य थे।"*
>
> *"संशोधित कण्डिका 7.16 "उपभोक्ता को इस प्रकार से संविदा मांग में कमी किए जाने के कारण उसे नवीन संयोजन प्रभारों/विद्युत् प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का प्रतिदाय प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। तथापि, यदि उपभोक्ता संविदा मांग में कमी किए जाने के पश्चात् पुनः संविदा मांग में वृद्धि की मांग करता है, तो ऐसी दशा में उसे उन विद्युत् प्रदाय उपलब्धता प्रभारों आदि का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जो कि ऐसा अनुरोध करते समय लागू थे। "।*

इसके साथ ही मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कण्डिका 3.4 में दिए गए नोट **"150 अश्व शक्ति तक की संविदा मांग में वृद्धि करने पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय नहीं होंगे, जो उस संयोजित भार तक सीमित होंगे जिसके लिए विद्युत उपलब्धता प्रभारों का पूर्व में भुगतान कर दिया गया हो"** *के संबंध में अनावेदक प्रतिनिधि का कथन है कि चूंकि म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता – 2013 का खण्ड 3.4 दिनांक 20.08.2013 को अधिसूचित किया गया था, जबकि संशोधित खण्ड 7.16 दिनांक 23.10.15 को अधिसूचित किया गया है जिसमें स्वीकृत संविदा मांग में कमी किए जाने के बाद पुनः संविदा मांग में वृद्धि चाहने पर सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस देय हैं, अतः संशोधित कण्डिका 7.16 का कण्डिका 3.4 पर अधिभावी प्रभाव* **(Over riding effect) है।**

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की मूल कण्डिका एवं दिनांक 23.10.2015 को माननीय आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन से संशोधित की गई कण्डिका 7.16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल एवं संशोधित कण्डिका में मात्र भाषा एवं व्याकरण के परिवर्तन के अलावा कोई अंतर नहीं है तथा संशोधन पश्चात् भी इस कण्डिका की मूल भावना एवं प्रावधान यथावत् हैं और मूल कण्डिका 7.16 में संशोधन पश्चात् भी मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कण्डिका 3.4 अपने मूल स्वरूप में पूर्ण प्रभाव के साथ लागू हैं, जिसको अनावेदक ने भी दिनांक 25.11.2019 की सुनवाई में स्वीकार किया है।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कण्डिका 3.4 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि मांग आधारित टैरिफ वाले निम्नदाब संयोजनों में विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार संविदा मांग पर आधारित न होकर संयोजित भार पर आधारित होकर भुगतान योग्य होते हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधानों अनुसार संविदा मांग में किसी वृद्धि पर कोई अतिरिक्त विद्युत उपलब्धता प्रभार देय नहीं होते हैं जब तक कि ऐसी वृद्धि उस स्वीकृत संयोजित भार तक सीमित है, जिसके लिए विद्युत उपलब्धता प्रभारों का पूर्व में भुगतान कर दिया गया हो। इस आधार पर अनावेदक द्वारा आवेदक से उसके

35 किलोवाट स्वीकृत संयोजित भार के संयोजन पर स्वीकृत संविदा मांग 10 किलोवाट से 35 किलोवाट बढ़ाए जाने पर स्थापित नियमों एवं विधि अनुसार रू0 71250/– के विद्युत उपलब्धता प्रभारों की वसूली के लिए अनावेदक अधिकारी नहीं पाया जाता है और अनावेदक इस प्रकार वसूल किए विद्युत उपलब्धता प्रभार आवेदक को लौटाने हेतु स्थापित नियमों एवं विधि अनुसार बाध्य है।

आवेदक की अपील स्वीकार की जाती है। आवेदक द्वारा स्वीकृत संयोजित भार 35 किलोवाट में बिना किसी वृद्धि के अपने संयोजन की स्वीकृत संविदा मांग 10 किलोवाट से 35 किलोवाट कराए जाने पर अनावेदक द्वारा वसूल किए गए विद्युत उपलब्धता प्रभार नियमानुसार वसूली योग्य नहीं पाए जाने से निरस्त किए जाते हैं। निर्देशित है कि अनावेदक इस प्रकार वसूल किए गए विद्युत प्रभार की राशि रू0 71250/– तत्काल आवेदक के आगामी विद्युत बिलों में समायोजित कर इस संबंध में पालन प्रतिवेदन आदेश की दिनांक से एक माह की अवधि में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही प्रकरण निर्णीत होकर निराकृत होता है ।

10. उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो। आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए।

विद्युत लोकपाल